शहरी अधिकार मंच : (बेघरों के लिए)
अरबन राइट्स फोरम : (फॉर दि होमलेस)

प्रेस विज्ञप्ति
विशेषज्ञों ने दिल्ली में बेघरों के प्रति सरकार की निष्ठुरता की भर्त्सना की

- *दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा बेघरों के लिए सिर्फ 24 बसेरे; शहर के 10,000 बेघर महिलाओं के लिए सिर्फ 1 रैन बसेरा*
- *बेघरों की आबादी बढ़ने के बावजूद, बसेरों की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम (46 से घटकर 24)*
- *कड़ाके की ठंढ एवं गिरते तापमान के बावजूद एमसीडी ने पूसा रोड में बेघरों के बसेरे को ढहा दिया; 35 वर्षीय व्यक्ति की ठंढ से मौत*
- *बेघरों की मूल वजह को हल करने के लिए सरकार के पास कोई व्यापक नीति नहीं*
- *दिल्ली के सबसे ज्यादा हासिये में रहने वालों, खासकर बेघर महिलाओं व बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन*

नई दिल्ली, 4 जनवरी 2010 : *शहरी अधिकार मंच : बेघरों के लिए,* दिल्ली के बेघर निवासियों और प्रमुख मानव अधिकार विशेषज्ञों ने राजधानी में बेघरों के संकट (आवासहीनता) को हल करने में विभिन्न सरकारी विभागों की सुस्ती एवं गैरजिम्मेदाराना रवैये की जोरदार आलोचना की। खुद को ''विश्व–स्तरीय'' बनाने के लक्ष्य वाले शहर में यह राष्ट्रीय शर्म और राज्य की घोर असफलता की बात है कि तमाम लोग बगैर किसी विकल्प के लगातार पटरियों पर रहने को बाध्य हैं। नागरिक समाज के नियमित प्रयासों, मीडिया द्वारा ध्यान दिलाने, और नगर निगम एवं राज्य सरकार पर आवासहीनता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए और सरदी में संकट की तीव्रता से निपटने के लिए तैयारी के लिए दबाव बनाने के बावजूद, परिस्थिति साल दर साल और भी बदतर होती जा रही है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के समाज कल्याण एवं राजस्व विभाग के बीच में आपस में तालमेल न होने के कारण कोई ऐजेंसी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और हर कोई एक दूसरे पर बला टाल रहा है। त्रासदी की बात यह है कि नौकरशाही के इस दुर्भाग्यपूर्ण गड़बड़ी का खामियाजा आज बेघर लोग भुगत रहे हैं।

समुचित आवास पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि (दूत) **मिलुन कोठारी** के अनुसार, ''बेघरों के खिलाफ लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सरकार को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। आज पुरूषों, महिलाओं, युवाओं व बच्चों के समुचित आवास, लोगों की सुरक्षा, पानी, स्वास्थ्य, भोजन एवं काम के अधिकार को कायम करने के लिए संयुक्त मानव अधिकार एवं मानवीय नजरिये की अविलंब आवश्यकता है। इन कदमों को उठाने में विफलता भारत की संवैधानिक व अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट उल्लंघन को प्रदर्शित करता है।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि आवासहीनता को हल करने के मानव अधिकार नजरिये के अंतर्गत आवासहीनता के ढांचागत वजहों पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करना शामिल है कि शहर के समस्त निवासी ऐसे आवास में रह सकें जो कि स्वच्छ, सुरक्षित एवं समुचित सेवाओं से युक्त हो। आवासहीनता के ढांचागत वजहों के अंतर्गत शामिल हैं कम लागत वाले सार्वजनिक आवास के विकल्प की अनुपलब्धता; समुचित आजीविका आधारित पुनर्वास के बगैर व्यापक स्तर पर विस्थापन अभियान एवं झुग्गियों को हटाना; व्यापक ढांचागत विकास के लिए भूमि–उपयोग में बदलाव करना आदि। हालांकि कड़ाके की ठंढ की जरूरत है कि समुचित, गर्म, एवं स्वच्छ बसेरे के रूप में तत्काल एवं मानवीय व्यवस्था पर ध्यान दिया जाय जो कि समस्त बुनियादी सेवाओं को प्रदान करे और जो लोगों के आजीविका के स्रोत के निकट हो। त्रासदी की बात यह है कि यह शहर इन सब में नाकाम रहा है। जहां 2008–09 में दिल्ली में 46 बसेरे थे वहीं 2009–2010 में बेघर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद बसेरों की संख्या घटकर 24 (16 अस्थाई) हो गई।

बेघर अधिकार कार्यकर्ता, **इन्दु प्रकाश सिंह** ने कहा कि, ''दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार सरकार को 150 रैन बसेरे बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जबकि सरकार इसके विपरीत बसेरों की संख्या कम कर रही है, जो कि बेघरों को और ज्यादा दरिद्रता में धकेलने का प्रयास है।'' उन्होंने सरकार की विषम प्राथमिकताओं के बारे में भी बताया कि वह राष्ट्रमंडल खेल के लक्ष्य को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए लगातार लोगों के मानव अधिकारों का हनन कर रही है।

हाल ही में पूसा रोड में रैन बसेरे का ढहाया जाना न सिर्फ एमसीडी के कानूनी जिम्मेदारियों को नकारना प्रदर्शित करता है, बल्कि यह शहर के गरीबों और बेघरों को और ज्यादा हासिये की ओर धकेलने तथा अपराध की ओर धकेलने की सरकार की नीति से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, एमसीडी ने लज्जाजनक तरीके से कहा है कि शहर के खुली जगहों पर घास उगाना बेघरों को बसेरा सुनिश्चित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका दावा है कि बसेरा अवैध था, यह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। पूसा रोड के

Please recycle

बेघरों को एक वैकल्पिक अस्थाई बसेरा उपलब्ध कराने सहित तत्काल राहत उपलब्ध कराने के अति गंभीर निवेदन के बावजूद भी सरकार ने दो सप्ताह तक कोई जवाब नहीं दिया। वक्ताओं ने सरकार की निष्क्रियता की कठोर भर्त्सना की, जिसकी वजह से गुब्बारे बेचने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि एमसीडी द्वारा बेघर किए गए 250 लोगों में से एक था। वरिष्ठ विधि शोधार्थी **उषा रामनाथन** ने कहा कि, ''यहां गरीबों के जीवन के साथ भयावह अनादर होता है। जब तत्वों को उजागर करने से व्यक्ति की मौत होती है तो वह स्वाभाविक मौत नहीं होती है। यह मौत सरकार द्वारा गरीबों के जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी को नकारने एवं लापरवाह उपेक्षा की वजह से हुई है। ऐसा लगता है कि गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं है। लगता है कि उन्हें अपनी गरीबी की कीमत चुकानी पड़ रही है, वह भी अपनी जान देकर।'' उन्होंने अन्यायपूर्ण *बाम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959,* के बारे में भी जिक्र किया जिसे नियमित रूप से गरीबों व बेघरों को घेरने और हिरासत में लेने के लिए उपयोग किया जाता है।

बेघरों के एक आंदोलन, *बेघर मजदूर संघर्ष समिति* के **मंसूर खान** ने बेघर महिलाओं व बच्चों के दर्द के बारे में जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली में विभिन्न संगठनों एवं बेघरों के व्यापक समन्वय, *शहरी अधिकार मंच* की ओर से सरकार के सामने कई मांग रखी। इनमें शामिल हैं : जहां भी बेघर हों वहां समुचित बसेरा बनाया जाय; बुनियादी सेवाओं का प्रावधान हो; सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो; सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो; खाली पड़े सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों एवं बगैर इस्तेमाल वाले परिसरों को बेघरों के लिए खोला जाय; महिलाओं व बच्चों सहित बेघरों के लिए स्थाई बसेरों की स्थापना की जाए। आवासहीनता को हल करने के लिए सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से और प्राथमिकता से तत्काल कार्ययोजना बनाए जाने की जरूरत है।

भारत सरकार मानव अधिकार का सम्मान करने, उसकी रक्षा करने एवं उसे पूरा करने के संवैधानिक व अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों से बंधी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधिकारों की समीति ने सन 2008 में भारत को बेघरों के बारे में भिन्न–भिन्न किस्म के आंकड़ों की आवश्यकता सहित बढ़ती आवासहीनता पर ध्यान देने का आह्वान किया था। इस समय अहम आवश्यकता है कि सभी सरकारी विभाग समेकित प्रयास करें और दिल्ली के बेघरों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करें। इन आवश्यक उपायों को कर पाने में लगातार विफलता दिल्ली के गरीबों के प्रति आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है और यह सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों व हरेक स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की स्पष्ट उपेक्षा है।

ज्यादा जानकारी के लिए सम्पर्क करें : इन्दु प्रकाश सिंह (9911362925), मिलून कोठारी (24358492), राज भूषण (9711411204)

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के लिए

सदस्य : अभ्युदय, एक्शन इन कम्युनिटी एंड ट्रेनिंग, अहद, आल इंडिया कबाड़ी मजदूर महासंघ, अमन बिरादरी, बेघर मजदूर संघर्ष समिति, बिजनेस एंड कम्युनिटी फांउडेशन, बटरफ्लाइज, चाइल्ड ट्रस्ट, दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन, फांउडेशन फॉर सोशल इनिशिएटिव, ग्रीनफ्लैग ऑर्ग, होप प्रोजेक्ट, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क, ह्यूमैनिटी एंड पीस सोसायटी, इनिशिएटिव फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, इंडो–ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, लेबॅर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी, नेशनल कांफ्रेस ऑफ दलित ऑर्गनाइजेशंश, प्रैक्सिस, साहसी, संगम, साथी, सवेरा, शरण, संत लाल जैन फांउडेशन, सोशल एक्शन एंड ट्रेनिंग, सेंट स्टीफेंस अस्पताल

कार्यकारी समिति : अमिता जोसेफ, आमोद कुमार, गेरी पिंटो, हर्ष मंदर, इन्दु प्रकाश सिंह, जोसेफ सेबास्टियन, मिलून कोठारी

shahriadhikarmanch@gmail.com

Please recycle